



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225662  
CG-DL-E-05032021-225662

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2021/फाल्गुन 14, 1942

No. 82]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2021/PHALGUNA 14, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

(मामला सं. एसएसआर-एडी- 03/2021)

**विषय :** चीन जन.गण.तथा इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में जारी जांच की शुरुआत अधिसूचना से संबंधित शुद्धिपत्र ।

**फा. सं. 7/03/2021-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 7/03/2021-डीजीटीआर दिनांक 22 फरवरी, 2021 और दिनांक 23 फरवरी, 2021 की समसंख्यक शुद्धिपत्र अधिसूचना जारी की है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 6 में वर्णित “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए और संशोधन किए गए हैं :-

विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) में निम्नलिखित शामिल नहीं है :-

- (क) बेम्बू फाइबर,
- (ख) मॉडल फाइबर,

- (ग) नॉन-वोवेन फाइबर,  
 (घ) फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर,  
 (ङ) इको फाइबर (इको वेरो अथवा ईवी)  
 (च) स्पन डाइड फाइबर,  
 (छ) टेन्सेल फाइबर (अथवा ल्योसेल) तथा आउटलास्ट विस्कोस फाइबर।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
 (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)  
**CORRIGENDUM NOTIFICATION**  
 New Delhi, the 5th March, 2021  
**(Case No. SSR-AD-03/2021)**

**Subject : Corrigendum to initiation notification issued in Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Staple Fibre originating in or exported from China PR and Indonesia.**

**F. No. 7/03/2021-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the sunset review initiation notification No. 7/03/2021-DGTR dated 22<sup>nd</sup> February, 2021 and Corrigendum notification of even number dated 23<sup>rd</sup> February 2021.

2. “Product under consideration” or “subject goods” described in Para 1 & Para 6 of the aforesaid notification is further corrected to be read as follows:

*Viscose Staple Fibre (VSF) excluding:*

- a) *Bamboo Fibre,*
- b) *Modal Fibre,*
- c) *Non-Woven Fibre,*
- d) *Flame Retardant Fibre,*
- e) *Eco Fibre (Eco Vero or EV),*
- f) *Spun Dyed Fibre,*
- g) *Tencel Fibre (or Lyocell) and Outlast Viscose Fibre*

ANANT SWARUP, Designated Authority